



2026:AHC-LKO:14335-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

रिट - सी संख्या - 1858 सन 2026

श्रीमती रेणु सिंह

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व लखनऊ
एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	अर्जुन कृष्णा, प्रदीप कुमार द्विवेदी
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शोभित मोहन शुक्ला

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जय प्रकाश मिश्रा द्वारा आज दायर वकालतनामा अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता श्री जय प्रकाश मिश्रा को सुना गया।
3. इस याचिका के माध्यम से, जिलाधिकारी, लखनऊ को उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण, लखनऊ द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पारित आदेश और उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के सचिव द्वारा दिनांक 20.12.2025 को जारी वसूली प्रमाण पत्र को निष्पादित करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है, ताकि प्रतिवादी संख्या 5 से 35,77,922/- रुपये की वसूली की जा सके।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उपरोक्त के मद्देनजर, इस याचिका का अंतिम निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि जिलाधिकारी, लखनऊ, दिनांक 20.12.2025 के वसूली प्रमाण पत्र को इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर निष्पादित करें, जब तक कि इस संबंध में कोई कानूनी बाधा न हो, ऐसी स्थिति में वे याचिकाकर्ता को उपरोक्त अवधि के भीतर लिखित रूप में सूचित करें।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फरवरी 23, 2026

-पीयूष-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।